

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 65/2026

अजीत कुमार यादव एवं 5 अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, लखनऊ एवं 8 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – सुरेश कुमार पाण्डेय, दीपाक कुमार पाण्डेय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार पाण्डेय, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कुशवाहा, ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज के वाद-धारक अधिवक्ता श्री मोहम्मद तालिब खान को सुना और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम सभा- सालपुर सेमरा, तहसील- सदर, जिला- गोंडा में स्थित ग्राम सभा की भूमि, जो गाटा संख्या 542 है और चकमार्ग के रूप में दर्ज है, पर किये गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. उप-जिलाधिकारी, सदर गोंडा द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत उक्त भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही (वाद संख्या टी 202208300409720 और टी 202208300409719) पहले ही संस्थित की जा चुकी है।
4. तदनुसार, संबंधित प्राधिकारी को यह निर्देश जारी करते हुए याचिका का निस्तारण किया जाता है कि वे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या टी202208300409720 और टी 202208300409719 का विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक निर्णय करे और उसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए समस्त आवश्यक कार्रवाई तत्परतापूर्वक करें।

6 फरवरी, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated version. Not for legal use.